मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 30 अगस्त, 2001 (भाद्र 8, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्र.एफ–1–3–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 3 जुलाई, 2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2–28–सात–शा.–8–पार्ट–2–97, दिनांक 15 मई, 2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1997–98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के जनपद पंचायत बीना में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्य किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरोत्तम मिश्रा, श्री नरेन्द्र बिरथरे, श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा व भितरवार के निर्दोष व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शिवप्रसाद सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अड़तीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां एवं बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के –

(क) ग्राम भोगौंवा स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम पंचायत भोगौंवा के कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(2) श्री धूलसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के –

(क) नरसिंहगढ़–बेरसिया मार्ग से ग्राम हिनोती तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम रोसला में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल के लिए भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम एण्डोरी में हाई स्कूल खोले जाने; तथा

(4) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम जिगदहा में हाई स्कूल खोले जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिंह, अनूप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रसाल सिंह, कुंवर विजय शाह, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री रणवीर सिंह एवं श्री लालसिंह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 29 अगस्त, 2001